

दी गण

न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

अर्चना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
60/20	188 RTA	कूड़े थोकरा	दुबडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
देवीलाल	बनाम	हीरालाल	

वकील :- N.K. चौधरी

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

9/20

अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 8/12/20 को पेश हो।

(Handwritten signature)

8/12/20

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 13/12/20 को पेश हो। प्रतिवादी गणों को और से श्री शमेश गालक एडवो. का वकालत नामा पेश हुआ।
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

13/12

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 13/12/20 को पेश हो।

(Handwritten signature)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

32/12

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित प्रतिवादी गणों के सम्मन वाद तामील प्राप्त प्रतिवादी कुल 1 ता 5 की ओर से श्री शमेश गालक एडवो. का वकालत नामा पेश हुआ। प्रतिवादी कुल 5 की वजह से सुप्रीम के अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वादते पत्रावली दिनांक 13/12/20 को पेश हो।

(Handwritten signature)



